न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ बइजलास श्री चिमन लाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
120 / 2022	06 / 07 / 2022	29 / 03 / 2023

— उनवान —

1. छीतर पुत्र गोविन्दा जाति हरि० ब्राहमण निवासी ग्राम बामनवाटी तहसील आंधी, जिला जयपुर राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र भौरीलाल शर्मा
2. गंजानन्द पुत्र बालूराम शर्मा
3. कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल शर्मा
4. रामेश्वर पुत्र नरसी शर्मा
5. प्रभूदयाल पुत्र ग्यारसा शर्मा
6. रामबाबू पुत्र कल्याण सहाय शर्मा
7. छोटेलाल पुत्र कालूराम शर्मा
8. रामबक्स पुत्र कन्हैयालाल शर्मा
9. जगदीश पुत्र कन्हैयालाल शर्मा

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बामनवाटी पोस्ट मंहगी तहसील आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित **अभिभाषक**

श्री किशनलाल बैरवा :— वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

—: निर्णय :—

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल बैरवा ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1900 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्रामतन बामनवाटी पटवार हल्का मंहगी तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां प्रार्थीगण की भूमि के लगवा स्थित है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करते रहते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है लेकिन अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश कर अतिक्रमण करने की कुचेष्ठा कर रहे है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 22.06.2022 को करवा चुके है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान चिन्हीकरण को नं मानते हुये तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान होने के उपरान्त भी आये दिन हैरान परेशान करते रहते है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि की पुख्ता पत्थरगढी करवाकर सीमा चिन्हीत करवा सके तथा जिससे की भविष्य में किसी प्रकार का सीमा विवाद उत्पन्न ना हो। अतः उक्त आराजियात के चारो तरफ (चारो दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता के साथ टीम गठित कर पत्थरगढी करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, इनको बार—बार रूक—रूक कर आवाज लगवायी गई लेकिन कोई उपस्थित नही, अतः इनके विरूद्ध दिनांक 28.03.2023 को एकतरफा कार्रवाई अमल मे लायी गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, आंधी को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.3700 भूमि स्थित ग्राम बामनवाटी पटवार मण्डल मंहगी तहसील आंधी जिला जयपुर मे यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी मे पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ